संख्या- 362 /2024/ 3169 /चार-2024-1859349

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 19 अक्टूबर, 2024**

विषय:- अयोध्या धाम में आयोजित होने वाले दीपोत्सव-2024 में दिनांक 28-30 अक्टूबर, 2024 तक विदेशी रामलीला दलों एवं अन्य कलाकारों द्वारा की जाने वाली प्रस्तुति में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय आदि पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 2162/सं0नि0-15(53)/2024-25, दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दीपोत्सव-2024 में विदेशी रामलीला के आयोजन में प्रतिभाग करने वाले विदेशी कलाकारों के मानदेय आदि पर होने वाले व्यय की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2. उक्त संबंध में संस्कृति विभाग के कार्यालय आदेश दिनांक 16.03.2024 द्वारा शासन स्तर पर विशेष सचिव, संस्कृति की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 19.10.2024 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार अयोध्या धाम में दिनांक 28-30 अक्टूबर, 2024 तक आयोजित होने वाले दीपोत्सव-2024 में विदेशी रामलीला दलों एवं अन्य कलाकारों द्वारा की जाने वाली प्रस्तुति में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय आदि हेतु रू0 98.90 लाख (रू0 अट्ठानवे लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
(2) कलाकारों का चयन पारदर्शिता के साथ किया जायेगा तथा कलाकारों के मानदेय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मितव्ययिता को ध्यान में रखा जायेगा।
(3) कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
(4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(5) स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/ पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(7) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001- निदेशन एवं प्रशासन- 03- संस्कृति निदेशालय -42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, अयोध्या।
5. निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या को उक्त कार्यक्रमों के आयोजन में सक्रिय सहयोग हेतु।
6. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in